न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/404

1. मानसिंह पुत्र बनेसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी फागणवास रैला तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. रामसिंह पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत निवासी फागणवास रैला तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।
2. ग्राम पंचायत घासीपुरा जरिये सरपंच।
3. किशनसिंह पुत्र रिछपालसिंह
4. महेन्द्रसिंह पुत्र बनेसिंह
5. धर्मपाल सिंह पुत्र बनेसिंह
6. प्रेम कंवर पत्नि बनेसिंह
   समस्त जाति राजपूत, निवासीगण फागणवास रैला, तहसील नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर।
7. कमला पुत्री बनेसिंह पत्नी पप्पूसिंह
8. विमला पुत्री बनेसिंह पत्नी कानसिंह
   जाति राजपूत, निवासीगण झझारपुर, पोस्ट सोढावास, तहसील मुण्डावर, जिला अलवर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर दिनांक 16.10.2023 प्रकरण अपील संख्या 08/2021 उनवानी रामसिंह बनाम ग्राम पंचायत घासीपुरा आदि जिसके तहत नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांकित 18.07.1985 द्वारा ग्राम पंचायत घासीपुरा को निरस्त किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री सुनील कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री श्यामबाबू पारीक, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 की ओर से।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 2 बाद तामील अनुपस्थित।
4. श्री जीतकेश, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 08.12.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के निर्णय दिनांक 16.10.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने सरपंच ग्राम पंचायत घासीपुरा द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 08.07.1985 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, हाल जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 84 ग्राम पंचायत घासीपुरा दिनांक 08.07.1985 अपास्त किया जाकर तहसीलदार पाटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाकर प्रति प्रेषित किया गया कि वसीयत दिनांक 23.05.1981 की जांच कर यदि वसीयत अन्तिम हो या किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुई हो तो नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 16.10.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट मानसिंह पुत्र बनेसिंह द्वारा यह अपील प्रस्तुत

कर अपील स्वीकार करने एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 अनुपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांकित 16.10.2023 विरुद्ध कानून एवं विरूद्ध पत्रावली है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की ओर गौर नहीं किया गया कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के पक्ष में जब वसीयत बनी हुई है तो इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् वसीयत के आधार पर नामांतरकरण को चैलेंज करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। पैतृक भूमि के सम्बन्ध में की गई वसीयत की कानून में कोई मान्यता नहीं होती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील स्वीकार किये जाने बाबत आदेश पारित करते हुए अपीलाधीन आदेश अवैध रूप से पारित किया गया है जो किसी भी स्थिति में स्थिर रहने योग्य नहीं है। योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 35 वर्ष के अत्यधिक विलम्ब के पश्चात् पेश की गई अपील को केवल मात्र इस मनमाने निष्कर्ष के आधार पर अंदर मियाद मान्य किये जाने में भारी कानूनी भूल की गई है कि मियाद पर कोई बिन्दु लागू नहीं होता है। कानूनन मियाद बाहर अपील प्रस्तुत करने से पूर्व मियाद की जानकारी तथा स्पष्टीकरण तथा डिले कन्डोन हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था, परंतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील को भी अंदर मियाद मानकर के अपीलांट के पक्ष में भरा गया विरासत का नामांतकरण संख्या 84 दिनांक 08.07.1985 निरस्त कर रिमांड करने में भारी भूल की है।

योग्य अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय इस कानूनी स्थिति की ओर भी गौर नहीं किया गया कि अपीलाधीन नामांतरकरण में अंकित भूमियों में विरासत उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में उपजे विवादों का निस्तारण नामांतरकरण प्रक्रिया के माध्यम से नहीं किया जा सकता है, इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का वादग्रस्त भूमि के किसी भी हक, हिस्से पर कोई कब्जा, काश्त कभी नहीं रहा है तथा पारिवारिक बंटवारा के अनुसार भी उक्त भूमि विरासत के अनुसार सही रूप से 1/2, 1/3 हिस्से के अनुसार खातेदारी में दर्ज की गई थी तथा वसीयत दिनांक 23.05.1981 के बाद दिनांक 07.06.1983 को रिछपालसिंह द्वारा तीनों पुत्रों अर्थात बनेसिंह, किशनसिंह, रामसिंह को बराबर–बराबर बंटवारा कर कब्जा सौंप दिया गया था इतना सब कुछ होते हुए भी यह कहना कतई सम्भव नहीं है कि अगर रिछपालसिंह द्वारा उसके दोनों पुत्रों रामसिंह व किशनसिंह के पक्ष में कोई रजिस्टर्ड वसीयत की हो। अगर 1981 को रजिस्टर्ड वसीयत होती तो रेस्पो० संख्या 1 के पिता द्वारा अपने हस्ताक्षरों से नया बंटवारा नहीं किया जाता। जिससे सिद्ध एवं प्रमाणित है कि रिछपालसिंह के तीनों पुत्र आज भी अपने अपने 1/3–1/3 हिस्से पर मौके पर काबिज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। रेस्पो० संख्या 1 अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 की क्रियान्विति की आड में भूमि पुराना खसरा नम्बर 91, 93 नया 47, 49, 50 किता 3 रकबा 2.80 हैक्टर ग्राम रैला तहसील नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर पर से अपीलांट को बेदखल करने, उपरोक्त भूमियों को अन्यत्र हस्तांतरित प्रभारित करने, पेड पौधे काटने व मौका सुरत बदलने पर आमादा फसाद हो रखे है, यदि वे अपने कुउद्देश्य में सफल हो गये तो अपीलांट के सापतिक अधिकारों पर कुठाराघात होकर अपीलांट की अपार क्षति होगी। न्यायहित में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांकित 16.10.2023 की क्रियान्विति स्थगित की जाकर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमियां की मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति यथावत रखी जावे। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 16.10.2023 निरस्त किया जाना प्रार्थनीय है।

6. वकील रेस्पोंडेन्ट्स संख्या 1 व 3 ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के समक्ष अपील प्रस्तुत कर कथन किया गया था कि भूमि खसरा नम्बर पुराना 91, 93 नया 47, 49, 50 किला 3 रकबा 2.80 हैक्ट ग्राम रैला तहसील नीमकाथाना अपीलान्ट के पिता रिछपाल सिंह की भूमि थी। जिनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 23.05.1981 को रजिस्टर्ड वसीयतनामा अपीलान्टस व उसके भाई किशनसिंह के पक्ष में करा दिया था। वसीयतनामा के अनुसार उक्त भूमि से अपीलान्टस के भाई बनेसिंह का कोई सम्बंध सरोकार हक अधिकार नही था। उपरोक्त वसीयत अपीलान्ट के पिता की प्रथम व अन्तिम वसीयत थी जिसके अनुसार उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के नाम व 1/2 हिस्सा किशन सिंह के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी परन्तु नामान्तकरण संख्या 84 के द्वारा उक्त भूमि की खातेदारी विरासत के अनुसार दर्ज कर दी जबकि खातेदारी वसीयत के अनुसार दर्ज होनी चाहिये थी। ग्राम पंचायत का आदेश जैर अपील सर्वथा गलत विरूद्ध रिकार्ड होने से निरस्तनीय है। दिनांक 23.05.1981 को अपीलान्ट के पिता द्वारा 1/2 हिस्से की भूमि के लिये जब अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत पंजीयन करा दी गई थी तब अपीलान्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तकरण वसीयत के आधार पर दर्ज होना चाहिये था विरासत के आधार पर तस्दीक नामान्तकरण निरस्त होने योग्य है। अपीलान्ट के पिता का अंतिम इच्छा पत्र अस्तित्व में है तो उसके आधार पर ही 1/2 हिस्से की भूमि अपीलान्ट के नाम नामान्तकरण दर्ज होना चाहिये था।

अपीलान्ट को पूर्व में वसीयत की कोई जानकारी नही थी दिनांक 15.06.2021 को अपीलान्ट अपने घर में अपने पिता के पुराने कागजात बही आदि को सम्भाल रहा था तब एक फोटो कॉपी वसीयत की पुराने कागजात में मिली तब दिनांक 15.06.2021 को सर्वे प्रथम वसीयत की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा विवादित नामान्तकरण की नकल दिनांक 18.06.2021 को प्राप्त कर अपील अन्दर मियाद पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत घासीपुरा द्वारा तस्दीक नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 08.07.1985 को निरस्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के पक्ष में वसीयत दिनांक 23.05.1981 के आधार पर नामान्तकरण दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 द्वारा अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 84 ग्राम पंचायत घासीपुरा दिनांक 08.07.1985 अपास्त किया जाकर तहसीलदार पाटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाकर प्रति प्रेषित किया गया कि वसीयत दिनांक 23.05.1981 की जांच कर यदि वसीयत अन्तिम हो या किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुई हो तो नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करने के आदेश पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 4 लगायत 8 ने दौराने बहस अपील का समर्थन करते हुये कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 पारित नहीं किया गया है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से तथा दौराने बहस किये गये कथनों से जाहिर होता है कि विवादित नामान्तकरण संख्या 84 ग्राम पंचायत घासीपुरा द्वारा दिनांक 08.07.1985 को मृतक

खातेदार रिछपालसिंह पुत्र गंगूसिंह कौम दरोगा सा0 कोला की नांगल के फौत होने पर विरासत बनेसिंह, किशन सिंह, रामसिंह कौम दरोगा सा0 कोला की नांगल के नाम भरा जाकर स्वीकार किया गया है। मृतक खातेदार रिछपाल सिंह पुत्र गंगू सिंह द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 किशनसिंह को खसरा नम्बर 91, 92 ग्राम रेला की भूमि जरिये रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.05.1981 को की गयी थी। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 किशनसिंह द्वारा नामान्तकरण संख्या 84 दिनांक 08.7.1985 को निरस्त करवाकर सम्पूर्ण भूमि वसीयत के आधार पर अपने नाम करवाने को लेकर विवाद है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि मृतक खातेदार रिछपाल सिंह पुत्र गंगू सिंह कौम दरोगा सा0 कोला के फौत होने पर विरासत का नामान्तरकरण सरपंच ग्राम पंचायत घासीपुरा द्वारा नामान्तरकरण संख्या 84 दिनांक 08.07.1985 को भरा गया था। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किये गये नामान्तरकरण संख्या 02 ग्राम रैला के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि पुराना खसरा नम्बर 91 एवं 92 रिछपाल सिंह पुत्र गंगू सिंह को पूर्व खातेदार श्री राव राजेन्द्र सिंह पुत्र मुकन्द सिंह राजपूत सा0 पाटन से प्राप्त हुई है। इससे यह तो पूर्णतया स्पष्ट है कि विवादित आराजी हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह पुत्र रिछपाल सिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 किशनसिंह पुत्र रिछपाल सिंह के पिता की पैतृक भूमि नहीं रही है। वसीयत के अवलोकन से जाहिर है कि पूर्व खातेदार स्व0 रिछपाल सिंह पुत्र गंगू सिंह द्वारा ख0 नं0 91, 92 ग्राम रैला की भूमि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 किशनसिंह के नाम रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 23.05.1981 को की गयी थी। इससे स्पष्ट है कि रजिस्टर्ड वसीयत विवादित नामान्तरकरण से पूर्व की है। ग्राम पंचायत द्वारा इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है, केवल विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है।

जिस पर उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रामसिंह की अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 द्वारा अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 84 आदेश ग्राम पंचायत घासीपुरा दिनांक 08.07.1985 अपास्त किया जाकर तहसीलदार पाटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया कि वसीयत दिनांक 23.05.1981 की जॉच कर यदि वसीयत अन्तिम हो या किसी न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं हुई हो तो नियमानुसार नामान्तरकरण दर्ज कर फैसल करने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.10.2023 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला नीमकाथाना, हाल जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16.10.2023 यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर